



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून  
फ़ोन-0135-2641115 फ़ैक्स-2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

## सार्वजनिक सूचना

सौर पीवी, सौर थर्मल और ग्रिड इंटरैक्टिव रूफटॉप एवं लघु सोलर पीवी प्लांट्स के लिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और उसके उपरान्त लागू होंगे, के लिये बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की आयोग द्वारा समीक्षा/संशोधन हेतु प्रारूप आदेश पर जन-सुनवाई

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपटित धारा 181(2)(zd) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा सौर पीवी, सौर थर्मल और ग्रिड इंटरैक्टिव रूफटॉप और लघु सोलर पीवी प्लांट्स के लिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और उसके उपरान्त लागू होंगे, के लिये बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रारूप आदेश (Order on Review of the Benchmark Capital Cost for Solar PV, Solar Thermal and Grid Interactive Rooftop & Small Solar PV Plants to be applicable for FY 2017-18 and onwards till reviewed/revised by the Commission.) जारी किया गया है उक्त प्रारूप आदेश पर सुझाव/आपत्तियां प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 15.06.2017 थीं

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 27.06.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जन-सुनवाई आहूत की गई है यदि कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है